परिपत्र

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस-रेग्यू./डीआईआर/ 1424 /2002

02 जुलाई, 2002

सभी आवास वित्त कंपनियों के लिए

प्रिय महोदय,

विषय : आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

शीर्षांकित निर्देशों के उपबंधों के अनुसार, कोई आस्ति, जिसमें ब्याज और/अथवा मूलधन के बारे में ऋण करार की शर्तों पर पुनः बातचीत की गई है अथवा पुनः निश्चित की गई है, ऐसी आस्ति पुनः बातचीत किए जाने अथवा पुनः निश्चित किए जाने की शर्तों के अधीन संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त होने तक एक उप-मानक आस्ति है ।

1. गुजरात राज्य में हाल ही में हुए उपद्रव के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निम्न प्रकार से निर्देशों के खंड (ii) के अनुच्छेद 2 से छूट देने का विनिश्चय किया गया है :-

   क. जहां पूर्वोक्त उपद्रव के कारण, उधारकर्ता की पुनर्भुगतान की क्षमता प्रभावित हुई है, वहां आवास वित्त कंपनियां ब्याज और पुनर्भुगतान के बारे में ऋण करार की शर्तें पुनर्निर्धारित कर सकती हैं और ऐसे पुनर्निर्धारित ऋणों को यथा उप-मानक आस्तियां वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

   ख. ऐसे ऋणों का आस्ति वर्गीकरण अब से संशोधित नियमों एवं शर्तों से अभिशासित होगा और उन्हें उस संशोधित अवधि, जिसके लिए ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त अदत्त रहती है, के आधार पर यथा उप-मानक माना जाएगा, जैसा कि निर्देशों में अनुबद्ध है ।

   ग. ऐसे पुनर्निर्धारण से पूर्व किया गया कोई प्रावधान न तो पुनरांकित किया जाएगा न ही किसी प्रावधान संबंधी अपेक्षा, जो भविष्य में हो सकती है, के लिए समायोजित किया जाएगा ।

   घ. छूट तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है, और केवल वित्त वर्ष 2002-03 के लिए विधिमान्य होगी ।

2. कृपया पावती दें ।

भवदीय,

ह./-
उप महाप्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग